निर्णय बईजलास करतार सिंह पूनियॉ, आर.ए.एस.,न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़

प्रकरण सख्याः–43/18

दायरा 05.11.18

राजस्थान सरकार जर्ये रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़

बनाम

प्रार्थी.....

1. नरेन्द्र अग्रवाल आ0 श्यामलाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स रामलखन किराना बस स्टेण्ड डग।
2. सालगराम राठौर आ0 बापूलाल राठौर मालिक मैसर्स तिरूपति ट्रेडर्स नगर पंचायत के सामने सुसनेर जिला आगर (म0प्र0)।

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित– 1– पेरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांकः– 15.04.19

श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक/एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधि0 झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिलें के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 18.02.18 को मय टीम के मैसर्स रामलखन किराना बस स्टेण्ड डग पर निरीक्षण के लिये पहूँचा, वहॉ पर नरेन्द्र अग्रवाल आ0 श्यामलाल अग्रवाल खाद्य पदार्थ घी के विक्रय का कार्य कर रहे थे, वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/ खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया–यह कि निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ घी (सुभाग ब्राण्ड) B.no.ug315 month and year of manu.Nov.2017 के 15 पैकेट्स लकड़ी की आलमारी में विक्रय हेतु रखे हुवे थे, जो आम जनता को बेचान किया जा रहा था जिसमें मिलावट को संदेह होने पर उक्त ब्राण्ड घी के चार मूल पैक वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा , जिसकी कीमत विक्रेता को रू0 1080/– नकद देकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर व समझाकर हस्ताक्षर करने को को कहा जिसे नरेन्द्र विक्रेता एवं मालिक मैसर्स रामलखन किराना बस स्टेण्ड डग द्वारा बहैसियत मालिक ने पढकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म सं0 5 ए की प्रति विक्रेता नरेन्द्र को देकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ घी को चारों मूल पैक पर ही लेबल चिपकाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डीओ के काड एवं क्रमांक वी–934 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये, नमूना भागों को दो अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारों पर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डीओं के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं0 वी 934 नियमानुसार सील चपडी किया, प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे–चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया, मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मेंने हस्ताक्षर किये फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्री जगदीश प्रसाद मीणा सहायक कर्मचारी कार्यालय हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/53–55 दिनांक 27.03.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विशलेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

130/एफ.एफ.एस.ए./कोटा एक्ट/2018/271 दिनांक 15.03.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य प्रदार्थ घी रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जॉच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरूद्व कोई अपील प्राप्त नही हुई, जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन मे यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी झालावाड द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/138 दिनांक 16.09.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस मे नियत दिनांक एवं समय पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायलान निर्धारित दिनांक 28.01.19 को न्यायालय में उपस्थित हुवे उसके उपरान्त न्यायालय में निरन्तर अनुपस्थित रहने पर पुनः दिनांक 06.03.19 को नोटिस जारी कर दिनांक 25.03.19 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु लिखा गया जिसकी तामील स्वंय नरेन्द्र कुमार को होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए। अतः प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुवे बहस पेरोकार सरकार सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि मे सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकर्षित करते हुऐ कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से सबधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है, गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जॉच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.) (सी)(आई) के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 मे उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुऐ गैर सायल नं0 1 नरेन्द्र अग्रवाल आ0 श्यामलाल विक्रेता एवं मालिक मैसर्स रामलखन किराना बस स्टेण्ड डग को रू0 1,50,000रु–(अक्षरे एक लाख पचास हजार) व गैर सायल नं0 2 सालगराम राठौर आ0 बापूलाल राठौर मालिक मैसर्स तिरूपति ट्रेडर्स नगर पंचायत के सामने सुसनेर जिला आगर (म0प्र0) को रू0 1,50,000/– (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये)के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.04.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

15.4.19

न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)